क्रम-संख्या–44(ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 19 फरवरी, 2026
माघ 30, 1947 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0

पी0सी0एफ0 भवन, 32–स्टेशन रोड, लखनऊ

संख्या 354/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/26-25/2026

लखनऊ, 19 फरवरी, 2026

अधिसूचना

संशोधन

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राज प्रताप सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0 प्र0 आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 07/रा0नि0आ0–3/पं0नि0/26–25/2025, दिनांक 6 जनवरी, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में निम्नांकित समय–सारिणी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

समय–सारिणी

क्र0 सं0	कार्यक्रम	अवधि
1	दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना एवं सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन/निस्तारण की कार्यवाही करने की अवधि।	07 जनवरी, 2026 से 16 मार्च, 2026
2	दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने एवं यथावश्यक मतदान केन्द्रों/स्थलों के निर्धारण की कार्यवाही।	21 फरवरी, 2026 से 16 मार्च, 2026 तक
3	मतदाता सूचियों की कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांकन, SVN आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियाँ कराने आदि।	17 मार्च, 2026 से 13 अप्रैल, 2026 तक
4	निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन	15 अप्रैल, 2026

2– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा।

3– निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

आज्ञा से,
राज प्रताप सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 384 राजपत्र–2026–(1194)–588+10=598 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।